न्यायालय, अपर समाहर्ता, रांची।

<u>एस ए आर अपील 64 आर 15/08–09</u>

पापी देवी — अपीलकर्ता

बनाम

संजय टोप्पो — प्रतिवादी

<u>आदेश</u>

12.8.2008 अपीलकर्ता के अपील आवेदन पर प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई की गयी। यह अपील निम्न न्यायालय द्वारा एस ए आर वाद संख्या 34/2001 में पारित आदेश के विरुद्ध ग्राम कडरु खाता नं0 115 खेसरा संख्या 264 रकबा 2 कट्ठा के लिए दायर किया गया है। अपीलकर्ता की ओर से एक संशोधन आवेदन भी दिया गया है जिसमें अनुरोध किया गया है कि किशोरी पेन्टर की मृत्यु हो चुकी है अतः उनके स्थान पर उनकी पत्नी पापी देवी का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। आवेदन स्वीकृत किया गया।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि निम्न न्यायालय में किशोरी पेन्टर उपस्थित नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें नोटिस का तामिला नहीं किया गया था। इस तथ्य का उल्लेख निम्न न्यायालय के आदेश में भी किया गया है। इन्होंने यह भी बताया कि किशोरी पेन्टर की मृत्यु काफी पहले हो चुकी है।

निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अपीलकर्ता की सुनवाई नहीं की गयी है। इस न्यायालय के एस ए आर अपील 74 आर 15/07–08 में निम्न न्यायालय के वाद संख्या 34/2001 को ग्राम कडरु खाता संख्या 115 खेसरा संख्या 264 रकबा 16 डिसमिल जमीन के संदर्भ में पुर्नसुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

अतः अपीलकर्ता पापी देवी के संदर्भ में ग्राम कडरु खाता संख्या 115 खेसरा संख्या 264 रकबा 2 कट्ठा पर पुर्नसुनवाई कर फिर से आदेश पारित करने के निर्देश के साथ इस वाद को निम्न न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाता है।

ह0/–
अपर समाहर्ता,
रॉची।